Despite all the doubts, delays, discouragements and apathy, what started as a vision of a bunch of student members of LAAC has now turned into a harbinger of change for future of the primary education in the State of Rajasthan. On 16th May, 2018 a division bench of Rajasthan High Court on the basis of the RTE study and the data presented by the LAAC in its letter petition has acknowledged the fact that "all is not right" in the primary schools of Rajasthan. Hon'ble High Court has directed the Government to comply with the norms given under the RTE Act and provide for the same in 50 out of 110 schools surveyed by the LAAC within 2 months.

टेक्नीक, फेस शेप के अकॉर्डिंग कोटरिंग, हाइलाइटिंग, मॉर्निंग मेकअप लुक आदि के बारे में भी यूजफुल टिप्स दिए। सेंट्रल एकेडमी चौहाबो में अंजलि, सेंट्रल एकेडमी रातानाडा में जागृति असनानी, पावटा में कावेरी बजाज ने भी स्टूडेंट्स के साथ ब्यूटी टिप्स शेयर किए। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आशीष की ओर से शास्त्री नगर, चौहाबो, रातानाडा, पावटा और केबीएचबी सेंट्रल एकेडमीज में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी गई।

जिले की 50 स्कूलों में 2 माह में पेयजल मुहैया करवाने के आदेश

लीगल एंड अवेयरनेस कमेटी एनएलयू जोधपुर की याचिका पर सुनवाई

लीगल रिपोर्टर.जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जोधपुर जिले की करीब 50 स्कूलों में दो महीने में पेयजल व टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका पर अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। लीगल एंड अवेयरनेस कमेटी, एनएलयू जोधपुर की ओर से दायर एक जनहित याचिका में बताया गया कि जोधपुर जिले की 48-50 स्कूलों का सर्वे किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है। स्कूलों में पेयजल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। टॉयलेट व मिड डे मील के लिए किचन तक नहीं है। टीचर्स की कमी भी सामने आई। सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, एक-दो स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह सभी व्यवस्थाएं सही हैं। कमेटी ने फोटोग्राफ सहित 48-50 स्कूलों के तथ्य कोर्ट के समक्ष पेश किए। इन स्कूलों में क्या-क्या कमियां हैं, इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी। खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिए कि अगले दो महीने में इन स्कूलों में पेयजल, टॉयलेट व मिड डे मील के लिए किचन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस याचिका पर अगली सुनवाई एक अगस्त को मुकर्रर की है।